## उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय : 10, माल एवेन्यू, लखनऊ

परिपत्र सं0 सी- 25 /तकनीकी प्रकोष्ठ/मृ0प0लै0/2017-18 दिनांक -26.05.2017

**समस्त शाखा प्रबन्धक**
**उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0**
**उत्तर प्रदेश।**

**विषयः-राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना के अंतर्गत जैव कृषि की वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों के लिए पूँजी निवेश सब्सिडी योजना-मृदा परीक्षण लैब(एक स्थान पर/मोबाईल) मिनी लैब की स्थापना और ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजनाओं को शामिल करना-परिचालन के दिशानिर्देश।**

भारत सरकार ने किसानों के बीच सांयल हेल्थ कार्डों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चला है और यह प्रस्ताव किया है कि मृदा परीक्षण लैब स्थापित करने करने के लिए पूँजी सब्सिडी दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (उर्वरक उपयोग कक्ष/आईएनएम प्रभाग) भारत सरकार ने 08 फरवरी 2017 के अपने पत्र के माध्यम से शीर्षोक्त योजना के अंतर्गत अतिरिक्त घटकों के रूप में मृदा परीक्षण लैब (एक स्थान पर/मोबाईल) मिनी लैब की स्थापना और ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजनाओं को बैंक में क्रियान्वित किये जाने हेतु विवरण निम्नवत् हैः-

**1. प्रस्तावनाः-**

वर्तमान में यह परिलक्षित हो रहा है कि खादों की खपत राज्य, जनपद तथा प्रत्येक फसल में दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यद्यपि खादों के प्रयोग से फसलों की आकर्षक उपज हो रही है तथापि उसके बावजूद उपजाऊ मिट्टी में तथा फसलों में उपज में विगत कुछ वर्षों में अप्रत्याशित बदलाव भी आ रहे हैं। अतः कृषि भूमि की मिट्टी का परीक्षण कर कृषकों को कौनसी खाद कितनी मात्रा में देनी है की जानकारी देकर हरित क्रान्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत उक्त योजना का अभ्युदय हुआ है।

**2. उद्देश्यः-**

(I) मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करके किसानो की फसलों की उपज में वृद्धि।
(II) ग्रामीण नौजवानों में रोजगार का सृजन
(III) समयबद्ध तरीके से मिट्टी(मृदा) के सैम्पल लेकर परीक्षण से उपजाऊ भूमि का सृजन।
(IV) कृषकों के घर पर ही भूमि परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।
(V) कृषकों को सॉयल हेल्थ कार्ड को शीघ्र ही उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों के लिए सुविधाजनक होगा।

**3. अपेक्षायेंः-**

(I) पौधों को संतुलित तथा उचित तत्व प्रदान करना।
(II) बायो फटीलाइजर, आर्गेनिक मैनुएर, वर्मी कम्पोस्ट, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टीलाइन जैसे नीम/सल्फर कोटेड यूरिया में वृद्धि जिससे मिट्टी की उपज बढ़ जायेगी और आवश्यकतानुसार ही न्यूट्रिएट देने पडेगी।

**4. लाभार्थियों की पात्रताः-**

फर्टिलाइजर्स कम्पनियां, प्राइवेट इण्डस्ट्रीज, प्राइवेट इण्टर प्रेनर्स/व्यक्तिगत पी0ए0सी0एस0 फार्मर्स क्लब और अन्य जो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त होंगे।

**5. योजनान्तर्गत यूनिट की पात्रताः-**

(I) मृदा परीक्षण लैब (एक स्थान पर/मोबाईल और ग्राम स्तर पर) प्रति वर्ष 1000 सैम्पल का परीक्षण करेंगे जिनके मापदण्ड में गॉवों की भूमि परीक्षण के 12 पैरामीटर होगें जैसे-PH, EC, OC, N,P,K, S,Zn, Fe, Mn, B & Cu

(II) लघु मृत परीक्षण लैब जोग ICAR तकनीक से लैस होगी जो 3 सैम्पल प्रतिवर्ष 12 पैरामीटर के जैसे-PH, EC, OC, N,P,K, S,Zn, Fe, Mn, Cu & B

## 6. इकाई लागत और अनुदान की दरः-

| क्र0 सं0 | यूनिट का प्रकार | एक वर्ष की कार्यवधि हेतु मय वर्किंग कैपिटल इकाई लागत* | अनुदान की दर |
|---|---|---|---|
| 1 | मृदा परीक्षण लैब(एक स्थान पर/मोबाईल) | 7500000.00 (पचहत्तर लाख) | इकाई लागत का 33.33% या 2500000.00 (पचीस लाख) जो कम हो |
| 2 | ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण इकाई | 1000000.00 (दास लाख) | इकाई लागत का 40% या 400000.00 (चार लाख) जो कम हो |
| 3 | आईसीएआर तकनीकी के साथ लघु मृदा परीक्षण लैब | 86000.00 + अनुमन्य कर (छियासी हजार) | इकाई लागत का 44% या 44000.00 (चौआलिस हजार)जो कम हो |

* इकाई लागत की धनराशि तालिका में दर्शित धनराशि से अधिक हो सकती है परन्तु अनुदान दर्शित इकाई लागत के अनुसार ही देय होगा।

## 7. ऋण पर ब्याज दरः-

समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार।

## 8. योजना की अवधिः-

01 फरवरी 2017 के बाद किया गया ऋण वितरण अनुदान की पात्रता में आयेगें। ऋण के एन0पी0ए00 होने की स्थिति में लाभार्थी अनुदान पाने हेतु पात्र नहीं होगा।

## 9. ऋण की सुरक्षाः-

बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में नियमानुसार।

## 10. पुर्नअदायगी तथा लाकइन पीरियडः-

| क्र0 सं0 | यूनिट का प्रकार | पुर्नअदायगी अवधि | लाक इन पीरिएड |
|---|---|---|---|
| 1 | मृदा परीक्षण लैब ( एक स्थान पर /मोबाईल) | 08 वर्ष | 03 वर्ष |
| 2 | ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण इकाई | 08 वर्ष | 03 वर्ष |
| 3 | आईसीएआर तकनीकी के साथ लघु मृदा परीक्षण लैब | 04 वर्ष | 01 वर्ष |

## 11. राज्य सरकार की भूमिकाः-

(I) कृषि राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय कार्य समिति (DLEC) लाभार्थियों की पहचान करेंगे। DLEC समिति में कलेक्टर/एडीएम, डिप्टीडायरेक्टर(एग्रीकल्चर), डिस्ट्रिक एग्रीकल्चर/ हार्टीकल्चर अधिकरी, SAUS/ICAR, नामित किये गये प्रोग्रसिव कृषक, SHG के प्रतिनिधि, ATMA के प्रोजेक्ट डायरेक्ट तथा लीड बैंक/नाबार्ड के प्रतिनिधि सदस्य होंगें।

( II ) योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के कृषि/सम्बन्धित विभाग DLEC की संस्तुति के उपरांत ऋण प्रस्ताव को बैंक भेजेगें, बैंक अपने नियम/प्रक्रिया के तहत ऋण स्वीकृत करेंगे। बैंक भी DLEC को विचार करने के लिए प्रस्तावों की संस्तुत कर सकते हैं।

( III ) प्रोजेक्टों की सघन मानीटरिंग वित्त पोषक बैंक और राज्य स्तर के कृषि/सम्बन्धित विभाग करेंगे।

( IV ) राज्य सरकार इन इकाईयों को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने हेतु सरलीकृत माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकेगी, यथा सम्भव सॉयल हेल्थ टेस्टिंग चार्जेज के सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक जहॉ से सम्बन्धित प्रोजेक्ट होगा ऋण की वसूली को सुगम बनाने में राज्य सरकार सहायक होगी।

(I) सॉयल टेस्टिंग लैब के लिए उपयुक्त इक्युपमेंट जो सॉयल परीक्षण लैब में आवश्यक होगें, सॉयल टेस्ट की व्यवहारिकता, कृषकों को गाइडेंस सॉयल हेल्थ आधारित तथा सॉयल टेस्ट आदि में राज्य सरकार तकनीकी गाइड लाइन्स तथा प्रेशिक्षण देगी।

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित योजना में बैंक नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

**ह0-**
**(श्रीकान्त गोस्वामी)**
**प्रबन्ध निदेशक**

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, उद्यान एवं फल प्रसंस्करण, उ0प्र0, लखनऊ।

**ह0-**
**(अजयपाल सिंह)**
**महाप्रबनधक(तक0)**

**Annexure I**

**Format for One time Subsidy**

Format for Project profile cum Claim from the financing branch of the bank through its Controlling office for release of one time subsidy in respect of the component of Establishment of Soil Testing Labs (Static/Mobile)/Mini Labs and Soil Testing Projects at Village level under CISS for National Project on Organic Farming (To be submitted to NABARD RO concerned with a copy to NCOF, Ghaziabad and State Agriculture/concerned Department of State Govt.)

1. Name and Address of the project
2. Name and Address of the Promoter
3. E-mail address/Adhar No. of the promoter
4. Name and address of the financing bank
5. E-mail address/Direct telephone Number of financing Bank
6. Date of receipt of proposal/application by the financing bank
7. Date of sanction of term loan by bank
8. Loan Account Number
9. Date of disbursement of first installment of loan
10. Means of finance
    Total Financial Outlay:
    Promoters Contribution:
    Bank Loan(term loan including working capital for on operating cycle):
11. Type of unit
    Soil Testing Laboratories(Static/Mobile)
    Soil Testing Labs(Village Level)
    Mini- Soil Testing Labs with ICAR Technology
12. Rate of interest to be charged
13. Repayment schedule prescribed
14. Date of Inspection by financing bank
15. Date of Inspection by Agriculture/concerned Dept. of State Govt.
16. Brief coverage of technical feasibility and financial viability (Enclose separate sheet along with project report)
17. Other relevant information, if any
18. The project has been appraised and found to be technically feasible and financially viable. We intend/ do not intend to avail refinance from NABARD.
19. An amount of------------ Rs. (--------------) being the eligible amount of subsidy may please be released in respect of the project for crediting to the "Subsidy Reserve Fund Account-Borrower wise".
20. We undertake having complied with all instructions contained in the circular No. 96/DOR-GSS-23/2017 Dated 21 April 2017.
21. We note that time limit of 15 months is stipulated for completion of the project from the date of sanction of the project. If reasons for delay in completion of the project is justified, a maximum grace period of 3 Months may be allowed for completion of the project. We also note that the subsidy has to be refunded forthwith to NABARD if the project is not completed within the above stipulated period as per the broad parameters of the Scheme. We also undertake to submit utilization certificate to NABARD after crediting the subsidy of the project to Subsidy Reserve Fund Account. It is further noted that in case of any delay in refund of subsidy, the participating bank/beneficiary will be liable for payment of penal interest.

Place.

Date.

Branch Manager
Seal and Signature

Controlling officer
Seal and Signature
Encl: (i) Bank's sanction letter (2) Brief profile on technical feasibility and financial viability and project report.

**Annexure II**

**Format for Utilization Certificate**

Format for Utilization Certificate from the financing branch of the bank in respect of the component of Establishment of Soil Testing Lbs (Static/Mobile)/Mini Labs and Soil Testing Projects at Village level under CISS for National Project on Organic Farming (To be submitted to NABARD RO concerned with a copy to NCOF, Ghaziabad and State Agriculture/concerned Department of State Govt.)

**Department of State Govt.**

1. Name and Address of the project
2. Name and Address of the Promoter
3. E-mail address/adhar No. of the promoter
4. Name and address of the financing bank
5. E-mail address/Direct telephone Number of financing Bank
6. date of sanction of term loan by bank
7. Date of disbursement of first installment
8. Means of finance
   Total Financial Outlay:
   Promoter Contribution:
   Bank Loan term loan including working capital for one operating cycle)
9. Type of unit
   Soil Testing Laboratories(Static/Mobile)
   Soil Testing Labs(Village Level)
   Mini- Soil Testing Labs with ICAR Technology
10. Number of Soil Health Cards issued
11. Date of Field Monitoring/Joint Inspection by officials of financing bank and State Govt. Department and DAC & FW/NCOF
12. Date of commission of the Unit
13. Date of Completion of the Unit
14. Brief Description of the assets created
15. Date and amount of subsidy received
    Amount of subsidy received from NABARD.
    Date of receipt of subsidy from NABARD
    Date of credit to the subsidy reserve Fund A/c of the borrower
16. Rate of interest charged by the financing bank
17. The bank has availed/not availed refinance from NABARD.
18. Other relevant information, if any
    This is to certify that .full amount of subsidy received in respect of the above project has been fully utilized (by way of crediting to the "Subsidy Reserve Fund Account") borrower-wise) and adjusted in the books of account under the sanctioned terms and conditions of the project within overall guidelines of the scheme.

Place.

Date.

Seal and Signature of Branch Manager

Controlling officer